

23-1-17

अपीनांत के वहील अनु. | रेसपोर्ट सं. 01 की  
कीर से 51 उप. | रेसपोर्ट सं. 2 से 5 व 7 से 13  
एक तरफा | न्यायालय समय समाप्ति तद किंग-  
केलंग स्वरूप में तीन वार केगजे नगरि गरि,  
मगर अपीनांत व उसके वहील उपस्थित नही हुए।  
यह पत्रावली तारीख 22-8-2013 से रेसपोर्ट  
सं. 6 के कापम रुकाम की डूनी एवं संशोधित  
शीफिट पेश करने हेतु फल रही है। अपीनांत  
के वहील को छ् वार हिराफ्त देने के बावजूद  
भी रेसपोर्ट सं. 6 के कापम रुकाम की डूनी  
एवं संशोधित शीफिट पेश नही किये, इससे  
यह जाहिर होना है कि अपीनांत इस उकरण को  
फलाना नही चाहते। केतः अपीनांत की अपील  
केडम पैरवी, केडम हाजरी एवं केदेश की फालना  
नही करने के फलस्वरूप खारिज की जागी है।  
पत्रावली फेसल सुमार होकर बाद तत्कीन डाखिन  
रफ्त है।

अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)